

चूककर्ता अब भुगतान करके निश्चित हो सकते हैं

बकाया
राशि का भुगतान
करने के लिए
चूककर्ताओं को
अंतिम अवसर



स्वर्ण
जयंती वर्ष
के उपलक्ष्य
में

दि.वि.प्रा. की जुर्माना राहत योजना का लाभ उठाएं

जुर्माने पर
25% राहत

कोई बहाली
प्रभार नहीं

कोई कानूनी
कार्रवाई नहीं

जानकारी के
लिए लोक शिविर
में सम्पर्क करें

दि.वि.प्रा. की जुर्माना राहत योजना, 2007 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दि.वि.प्रा. के उन चूककर्ता आबंटितियों के लिए अंतिम अवसर है जो मासिक किश्तों का भुगतान करने में असफल रहे हैं। यह योजना उन आवेदकों पर लागू होगी, जो निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं:

1. आवेदन की तारीख तक बकाया सभी किश्तें
2. उक्त पर ब्याज जुर्माना
3. ब्याज सहित भू-भाटक या पूंजीकृत भू-भाटक अर्थात् भूमि लागत का 12%, यदि पहले भुगतान नहीं किया है।

योजना के अन्तर्गत राहत

- किश्तों के विलंब से भुगतान/भुगतान नहीं करने पर, भुगतान नहीं किए गए जुर्माने (ब्याज) के संबंध में 25% राहत।

- कोई बहाली प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

आवेदन पत्र 150/- रुपये का भुगतान करके निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं:

- काउंटर नं. 11, डी ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली
- सी.ए.यू., उत्तरी जोन, अशोक विहार

फार्म वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं

वित्त सलाहकार (आवास)

योजना 31.12.2007 तक वैध है



दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट 'dda.org.in' पर सम्पर्क करें या 42895566 डायल करें



अपने फ्लैट का स्वामी होने का गर्व प्राप्त करें